राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग,

क्रमांकः प.2(26)वित्त/कर/2011

जयपुर, दिनांक 29.6.11

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

विषयः नाबालिग के नाम की सम्पत्ति विक्रय के दस्तावेज पंजीयन के संबंध में।

सन्दर्भः आपका पत्रांक प.7(109)जन/कार्यशाला/11/8269 दिनांक 30.3.11

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि अवयस्क द्वारा अपनी सम्पत्ति के हस्तान्तरण के दस्तावेज का स्वयं निष्पादन कर पंजीयन के लिए प्रस्तुत करने पर उप पंजीयक, पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा (35) (3) (बी) के तहत ऐसे दस्तावेज का पंजीयन करने से इन्कार कर सकता है लेकिन यदि अवयस्क की सम्पत्ति के दस्तावेज का उसकी ओर से उसके माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा निष्पादन कर पंजीयन के लिए प्रसतुत किया जाता है तो पंजीयन अधिनियम, 1908 में ऐसे दस्तावेज को पंजीयन से इन्कार करने का कोई प्रावधान नहीं है, यद्यपि Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 की धारा 8 (2) तथा The Wards and Guardianship Act, 1890 की धारा 28 एवं 29 के प्रावधानों के अनुसार अवयस्क की सम्पत्ति का हस्तान्तरण न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,
ह0/-
(डॉ0 रविकुमार एस.)
शासन उप सचिव

F7-109-G

NOTIFICATION

राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर

क्रमांक एफ 7(109)जन/11/14862-15311 दिनांकः 06.7.2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
8. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
9. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
10. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
11. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
12. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
13. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14. ए.सी.पी, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
15. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
17. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

05/7/11

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

F7-109-G